रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 1984/आषाढ़ 20, 1906
No. 322] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 1984/ASADHA 20, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1984

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 499(अ)/सं.ई(सी)ओ, 1977/एएम(288) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1984 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में :—

(1) अनुसूची-1 के भाग "क" में, क्रम सं. 41(17) से 41(20) तक दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

(2) अनुसूची-3 के खुले सामान्य लाइसेंस-4 के कालम-2 में, क्रम सं. 23 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"ढलवे लोहे के पाइप और फिटिंग से भिन्न लोहा एवं इस्पात जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

सम्पूर्ण इस्पात संयंत्रों, मिश्र-धातु इस्पात संयंत्रों, मिनी इस्पात संयंत्रों, गौण उत्पादकों एवं रि-रौलर्स द्वारा उत्पादित इस्पात।"

(3) अनुसूची-3 के खुले सामान्य लाइसेंस-4 की क्रम सं. 24 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को हटाया जाएगा।

(4) अनुसूची-3 के खुले सामान्य लाइसेंस-3 के कालम 3 की क्रम सं. 71 और 72 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टियों को संशोधित करके "ख-80(4) और ख-80(5)" के रूप में पढ़ा जाए।

[मि. सं. 5(2)/84-ई. 2]

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 11th July, 1984

Export Trade Control

S.O. 499(E)/No. E(C)O, 1977/AM(288).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eighth Amendment Order, 1984.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(i) In Part 'A' of Schedule I, the existing entries appearing at S. No. 41(xvii) to 41(xx) shall be deleted.

(ii) In OGL-4 of Schedule III, in col. 2, in place of the existing entry at S. No. 23 the following shall be substituted, namely :—

"Iron and Steel other than cast iron pipes and fittings, the following :—

Steel produced by integrated steel plants, alloy steel plants, mini steel plants, secondary producers and re-rollers."

(iii) In OGL-4 of Schedule III, the existing entry appearing against S. No. 24 shall be deleted.

(iv) In OGL-3 Schedule III, in col. 3, the existing entries against S. No. 71 and 72iI............ to read as "B.80(iv) and B.80(v)".

[F. No. 5(2)|84-E II]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984